nt>

**12.04 hrs.**

## PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357

**Title:** Personal explanation regarding certain remarks made against Shri Nitish Kumar by Shri Lalu Prasad, Minister of Railways in Lok Sabha on 14.7.2004.

**श्री नीतीश कुमार (नालन्दा)** : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14 जुलाई 2004 को श्री लालू प्रसाद ने रेल बजट पर बहस का उत्तर देते हुए गोधरा कांड के बारे में जो बातें कही हैं, वे न केवल तथ्य से परे हैं बल्कि भ्रामक हैं।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not interrupt him. He is trying to make a statement and I have allowed him.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please sit down. I will not allow this.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have allowed him to speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will not allow this.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record, except Shri Nitish Kumar's submission.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: There should be some discipline in the House.

**श्री नीतीश कुमार** : हम फिर से शुरू कर रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded except Shri Nitish Kumar's statement.

*(Interruptions)**

**श्री नीतीश कुमार :** अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाएं, तो मैं बोलूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बोलिए। मैं सभी से विनती करता हूं कि डिस्टर्ब मत करिए। हाउस का थोड़ा सम्मान कीजिए।

** Not recorded*

â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have pulled them up.

...(*Interruptions*)

**श्री नीतीश कुमार :** वे न केवल तथ्य से परे है, बल्कि भ्रामक है एवम् रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 एवम् धारा 115 की व्याख्या राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है।

उन्होंने कहा है कि "रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयोग द्वारा न ही वैधानिक जांच की गई और न ही धारा 115 के अंतर्गत विभागीय जांच हुई।"

महोदय, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 में उल्लिखित है कि

> "Inquiry by Commissioner: (I) On the receipt of a notice under section 113 of the occurrence of an accident to a train carrying passengers resulting in loss of human life or grievous hurt causing total or partial disablement of permanent nature to a passenger or serious damage to railway property, the Commissioner shall, as soon as may be, notify the railway administration in whose jurisdiction the accident occurred of his intention to hold an inquiry into the causes that led to the accident and shall at

the same time fix and communicate the date, time, place of inquiry:

Provided that it shall be open to the Commissioner to hold an inquiry into any other accident which, in his opinion, requires the holding of such an inquiry.

(2) If for any reason, the Commissioner is not able to hold an inquiry as soon as may be after the occurrence of the accident, he shall notify the railway administration accordingly."

उपरोक्त से स्पट है कि रेल संरक्षा आयुक्त दुर्घटना के उपरांत जांच करने के लिए प्राधिकृत हैं, किन्हीं के आदेश की जरूरत नहीं है, खुद के द्वारा इस कानून के तहत जांच करने के लिए प्राधिकृत है।â€¦ (व्यवधान) ये मंत्री हैं, ये दागी मंत्री हैं, अब दागी मंत्री भी जवाब बताएंगे।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have allowed the statement to be made.

...(*Interruptions*)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): When Shri Lalu Prasad was speaking, they were out....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Forget about that.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Since I have allowed him, you are questioning my ruling. You are questioning my decision. You are not entitled to question my decision. Please sit down.

SHRI NITISH KUMAR : You should not listen to such people. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Let us behave in a responsible manner. Let there be some discipline in the House.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Madhusudan Mistry, you are not doing justice. Hon. Members, please take your seats. Do not compel me to take action.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please sit down. Carry on Shri Nitish Kumar.

...(*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठिए। यह पार्लियामेंट आफ इंडिया है, कोई क्लब नहीं है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार)** : मंत्री जी टोका-टाकी कर रहे हैं, उन्हें समझाएं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप भी ऐसा कर रहे हैं, आप बैठिए।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, please restrict yourself to your statement.

**श्री नीतीश कुमार :** उपरोक्त से स्पट है कि रेल संरक्षा आयुक्त दुर्घटना के उपरांत जांच करने के लिए प्राधिकृत हैं। पैरा 2 में यह भी उल्लिखित है कि यदि रेल संरक्षा आयुक्त जांच कराने में किन्हीं कारणों से सक्षम नहीं है, तो इसकी सूचना रेल प्रशासन को देंगे। इस संदर्भ में यह कहना है कि जहां तक मुझे स्मरण है, स्मरण के आधार पर मैं यह पूरा वक्तव्य दे रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है फाइल्स का।

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, please restrict yourself to your statement.

**श्री नीतीश कुमार :** यह बताना जरूरी है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने लिखा है।

**श्री नीतीश कुमार** : इस संदर्भ में यह कहना है कि जहां तक मुझे स्मरण है इस घटना की सूचना 27 फरवरी को ही नियमानुसार रेलवे प्रशासन ने संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल को दी थी। संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल ने बाद में मुख्य संरक्षा अधिकारी, चर्चगेट, मुम्बई को यह अवगत कराया था कि चूंकि गुजरात सरकार ने Commission of Inquiry Act 1952 के तहत जांच आयोग गठित किया है। इस कारण रेलवे अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत इस जांच को रेलवे संरक्षा आयोग नहीं कर सका है।

रेलवे अधिनियम के धारा 119 में उल्लिखित है :

"**No inquiry, investigation, etc. to be made if the Commission of Inquiry is appointed :** Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Chapter, where a Commission of

Inquiry is appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (3 of 1952), to inquire into an accident, any inquiry, investigation or other proceeding pending in relation to that accident shall not be proceeded with, and all records or other documents relating to such inquiry shall be forwarded to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf."

उपरोक्त से स्पट है कि जब Commission of Inquiry Act के तहत कोई जांच आयोग बैठाया जाएगा, तो कोई और जांच उसी घटना के संबंध में नहीं की जा सकती है।

लालू प्रसादजी ने कहा है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 के अन्तर्गत विभागीय जांच नहीं की गई। मैं रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 115 को उल्लिखित करना चाहूंगा।

"**Inquiry by railways administration:** Where no inquiry is held by the Commissioner under sub-section (1) of section 114 or where the Commissioner has informed the railway administration under sub-section (2) of that section that he is not able to hold an inquiry, the railways administration within whose jurisdiction the accident occurs, shall cause an inquiry to be made in accordance with the prescribed procedure. "

उपरोक्त में लिखा है कि जहां रेल संरक्षा आयुक्त किसी घटना की जांच करने में सक्षम नहीं, तब जिस इलाके में घटना घटित हुई है, उसका रेलवे प्रशासन इसकी जांच कराएगा। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि रेलवे अधिनियम की धारा 114 और धारा 115 रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 119 के साथ पढ़ी जानी है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Only what Shri Nitishji says is being recorded.

*(Interruptions)* *

MR. SPEAKER: You need not get up. Why are you getting up? I am trying to control them.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: This is very unfortunate. You are openly trying to defy the Chair. There is a limit to my patience. Please sit down. I have allowed him to speak, including the text.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are not a super Speaker. You cannot override me. You cannot override my decision. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please do not compel me to take action. Please sit down. Otherwise, I will be forced to take unpleasant action.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: This is becoming a habit. You are openly trying to defy the Chair. Is this adding to your prestige?

...(*Interruptions*)

**श्री नीतीश कुमार** : महोदय, मैं धारा 119 का जिक्र ऊपर कर चुका हूं। धारा 119 के रहते धारा 115 के अन्तर्गत कार्यवाही का आदेश कैसे दिया जा सकता है, यह मेरी समझ से परे है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What are you doing? It is very strange. You are making all these running commentaries. I am taking notice of those hon. Members who are doing this. Yes, you will not get any opportunity to speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, I have allowed you, and I am trying to control them. Please carry on. With all your experience, you ignore them.

â€¦.(Interruptions)

** Not recorded*

SHRI NITISH KUMAR : Sir, I am obeying you. With your kind permission, I am reading out from my statement.

MR. SPEAKER: You carry on. You are so articulate and experienced.

...(*Interruptions*)

**श्री नीतीश कुमार :** अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद जी ने मुझ पर एवं तत्कालीन रेल राज्य मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि हम लोग घटना स्थल पर नहीं गए। जब इस घटना की सूचना मिली, मैं उस समय रेल भवन कार्यालय में बैठा था। मैंने तत्काल संबंधित रेलवे के अधिकारियों से सम्पर्क किया। उस समय प्राथमिकता थी :

( क) कोच में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की

(ख) उस ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को सकुशल आगे गन्तव्य तक पहुंचाने की

(ग) एवं इस घटना के मद्देनजर गुजरात तथा देश के अन्य भागों में सुरक्षित रेल परिचालन की जिससे रेल सम्पत्ति तथा रेल यात्रियों को नुकसान न हो। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are exceeding your limit.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: What happened?

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, please finish your statement. Please co-operate. You ignore them. Your statement is recorded fully. I will see that every word of your statement is recorded and nothing other than that. Please carry on.

...(*Interruptions*)

**श्री नीतीश कुमार :** उस परिस्थिति में मेरे आकलन के अनुसार रेल भवन में बैठकर मैं ज्यादा बेहतर ढंग से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर सका। इसके अतिरिक्त यह भी बताना आवश्यक है कि यह घटना कानून व्यवस्था से सबंधित थी एवं इस तरह की कानून व्यवस्था संबंधित घटनाओं पर रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री द्वारा मौके का मुआयना करने की आम परम्परा रेल मंत्रालय में नहीं है* â€¦ (व्यवधान)

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: That will not go on record. The speech restricted to the statement will go on record.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Except the statement, nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: You ignore that. You carry on.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You sit down. Shri Ramdas Bandu Athawale, you are a senior Member. Do not mislead others. Do not set bad examples to others.

नीतीश जी, मेरी आपसे विनती है कि आप अपना स्टेटमेंट पढ़िये।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You please ignore them and keep reading out your statement.

...(*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** आप लोग अपने अपने लीडर को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are one of the leaders but you are disturbing him. This is very unfortunate. I am doing more than your work. हम उन्हें डांटते हैं।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are a disciplined person. You were an Army man. You should not disturb others.

...(*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग दो मिनट चुपचाप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing except the statement of Shri Nitish Kumar should go on record.

*(Interruptions)* *

**श्री नीतीश कुमार :** अध्यक्ष जी, लालू प्रसाद जी ने यह भी कहा कि रेलवे अधिकारी भी मौके पर नहीं गये। यह बात भी तथ्य से परे है। मुझे स्मरण है कि इस संबंध में तत्कालीन रेल मंडल प्रबंधक, बड़ौदा तथा तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त, आर.पी.एफ. बड़ौदा ने रिपोर्ट भेजी थीâ€¦ (व्यवधान)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, you please go on. I want your statement to be recorded.

...(*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** नीतीश जी, 'सूचना मिलते ही बड़ौदा मंडल' इससे आगे पढ़िये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मि. पाल, आप बठिये।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Salim, please take your seat. I will allow you later, not now.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I request you to please take your seats. He would finish reading his statement in another minute.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If he is allowed to speak uninterruptedly, he would finish in another one-and-a-half minutes. Please hold patience for two minutes. नीतीश जी, दो मिनट में खत्म कीजिये।

...(*Interruptions*)

**श्री नीतीश कुमार :** सूचना मिलते ही बड़ौदा मंडल के ए.डी.आर.एम. तथा उस मंडल के ब्रांच अधिकारी मौके पर पहुंचे थे तथा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई से काफी यात्रियों की जान बची थी।. मेरी मांग है कि उपरोक्त दोनों रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जाय ताकि पूरा देश जान सके कि दाल में काला कहां है?â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No running commentaries please. He has come to the last paragraph of the statement. Let him complete his statement.

...(*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** आप लोग अपने लीडर को क्यों डिस्टर्ब करते हो? प्रभुनाथ सिंह जी, आप चुप बैठ जायें।

...(व्यवधान)

**श्री नीतीश कुमार :** लालू प्रसाद जी ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटिरी, अहमदाबाद की रिपोर्ट दिनांक 17.5.2002 का उल्लेख अपने भााण में किया है जो कि सी.आर. नं. 9/ 2002 गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन से संबंधित है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटिरी, अहमदाबाद की इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई इस घटना की जांच कर रहे वि वेचना अधिकारी (Investigating Officer) को करनी है। इस संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 लोक सभा में किया गया था जिसका जवाब तत्कालीन रेल राज्य मंत्री द्वारा दिया गया था जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं।

MR. SPEAKER: You need not read that out.

...(*Interruptions*)

SHRI NITISH KUMAR : Sir, it is a part of the statement. ...(*Interruptions*)

**श्री लाल कृण आडवाणी (गांधीनगर) :** अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल सरकार के दो प्रमुख मंत्री मुझसे और दूसरे सदन के विपक्ष के नेता से मिलने आये और कहा कि हम चाहेंगे कि सदन की कार्रवाई ठीक प्रकार से चले। बजट पर चर्चा होनी है, बहुत महत्वपूर्ण वियों पर चर्चा होनी है। मैंने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, मैं आपकी भावना से सहमत हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि कल जो विवाद खड़ा हुआ, वह विवाद ठीक प्रकार से निपटाया जाए और हमने सहमति प्रकट की कि ठीक है, आज प्रश्नोत्तर काल चलेगा और प्रश्नोत्तर काल चलने के बाद कल नीतीश जी अपना वक्तव्य देना चाहते थे, जो उन्होंने अब शायद लिखकर भी दिया होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI (GARHWAL): Nobody is allowed to disturb him. ...(*Interruptions*)

**श्री नीतीश कुमार :** अप्रूव्ड है।

**श्री लाल कृण आडवाणी :** और वह ठीक प्रकार से हो जाए तो कार्रवाई चलेगी। लेकिन लगता है कि सदन के कुछ लोग नहीं चाहते कि कार्रवाई चले और इसीलिएâ€¦ (व्यवधान)नहीं तोमैं यह बात शुरू में कह सकता था। लेकिन मुझे बाद में पता लगा, मुझे मल्होत्रा जी ने बताया कि जिस समय नीतीश जी और मल्होत्रा जी अध्यक्ष जी के पास गये थे तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री भी थे, जिन्हें जानकारी है कि किस आधार पर आज सारी चर्चा होनी थी और हम अपेक्षा करते थे, लेकिनâ€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am sorry. I did not permit him. I will allow Shri Nitish Kumar.

...(*Interruptions*)

**श्री लाल कृण आडवाणी :** अध्यक्ष जी, जब आपने बीच में टोकने वाले लोगों को रोका तो मुझे लगा कि आप उस पर आग्रह कर रहे हैं, लेकिन फिर देखा कि अचानक नीतीश जी अपना वक्तव्य पूरा भी नहीं कर पाये और आपने कहा बात खत्म हो गई।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri L.K. Advani, I am sorry. You are right. I thought he was only answering. But after the `answer' he has his own statement. Please only read that.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am sorry, it is my mistake. I did not notice.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You need not read out the Question-Answer.

...(*Interruptions*)

SHRI NITISH KUMAR : It is required. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri L.K. Advani, you have seen how I am trying to control. I am trying my best.

...(*Interruptions*)

SHRI L.K. ADVANI : I am also trying my best. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Everybody is trying his best, but the only thing is nobody is listening to the Chair. That is the problem. I have not particularly blamed anybody. You know how I have been trying to control because I have committed to the statement. I had committed to Shri Nitish Kumar that I would allow him, if the statement had been given yesterday. However, he has given the statement today. First thing, I told him that I would allow him to read. Please go on.

...(*Interruptions*)

SHRI NITISH KUMAR : Sir, I am further reading:

**FORENSIC REPORT ABOUT SABRMATI EXPRESS AT GODHRA**

**3783.** Shri G.M. Banatwalla

Shri Sushil Kumar Shinde

Shri Jyotiraditya M. Scindia

Will the Minister of Railways be pleased to state:

a. Whether a team of Forensic Science Laboratory of Ahmedabad inquiring into the Godhra train carnage of February 27, 2002, has after a simulated experiment of the fire in Railways train coach No. S-6, came to the conclusion that the fire which took the life of 59 passengers including women and children, could be possible only if the inflammable like petrol was dowsed from inside the compartment and not is thrown from outside;
b. If so, the result of the follow up investigations based on the said findings; and
c. The action taken in this regard?

**ANSWER**

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Bandaru Dattatraya)

(a) to (c) "Policing" being a State subject, prevention and detection of crime on Railways including running trains is the Constitutional responsibility of the State Governments. The cases of crime on Railways ...(*Interruptions*) इसमें छूट

गया है।

MR. SPEAKER: I will see that the answer is recorded in the proceedings.

...(*Interruptions*)

SHRI NITISH KUMAR : The cases of crime on Railways are reported to, registered and investigated by the Government Railway Police (GRP). However, information furnished by the Superintendent of Police, Vadodara indicates that the Forensic Science Laboratory, Ahmedabad has opined that the petrol could have been poured from inside the coach. Any follow-up action on the report has to be taken by the State Government.

स्पट है कि फॉरैन्सिक साइंस लैबोरेटरी की उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में रेल मंत्रालय ने इस सदन को अवगत करा दिया था। चर्चा के दौरान श्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि "Sir this report is dated 17 May 2002 it means that almost three months after the tragedy took place this report was with the Government with the Railway Minister yet this was kept under wraps till 2004 â€¦" मुझे यह पढ़कर श्री सिब्बल के कानून के ज्ञान पर बहुत अफसोस एवं आश्चर्य हुआ है। अफसोस इस बात का कि श्री सिब्बल सरीखे वकील को यह जानकारी नहीं है कि फॉरैन्सिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट किसे दी गई थी तथा आश्चर्य इस बात पर कि फॉरैन्सिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट रेल मंत्री के पास थी। ऐसा लगता है कि उनके अनुसार रेल मंत्री ही इस घटना के इनवैस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जिसके पास फॉरैन्सिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट आई थी। इसके अतिरिक्त यह गलत है कि 2004 के पूर्व इसके संबंध में जानकारी इस सदन को नहीं दी गई थी। हमने उल्लेख कर दिया कि जानकारी सदन को दी थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस संबंध में सदन को अगस्त 2002 में ही अवगत कराया जा चुका था। श्री सिब्बल को इस तरह का भ्रामक वक्तव्य नहीं देना चाहिए।

महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि मार्च 2003 में ही साबरमती एक्सप्रैस में गोधरा घटना के संबंध में इसी सदन में सवाल उठा था। इसके उत्तर में हमने सदन के पटल पर जवाब रखा था। जो भी उपलब्ध सूचना थी, उस पर इस सदन में सवाल उठा था। उसके उत्तर में मैंने इसी सदन के पटल पर सारी जानकारी जो मांगी गई थी, वह रख दी थी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पट है कि श्री लालू प्रसाद ने मुझ पर जो आक्षेप किया है, वह राजनीति से प्रेरित है और इस प्रकार का आचरण संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के प्रतिकूल है।

MR. SPEAKER : No discussion on this is allowed.

...(व्यवधान)

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली)** : श्री लालू प्रसाद और श्री कपिल सिब्बल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। â€¦(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप ले आइए। देखा जाएगा।

...(व्यवधान)

**श्री नीतीश कुमार** : ये कपिल सिब्बल जी से पूछते रहते हैं। पहले भारद्वाज जी से पूछा करें जो कानून मंत्री हैं। â€¦(व्यवधान)

---